न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र।

उपस्थित–श्री रजत सिंह जैन,(एच.जे.एस.),

सत्र परीक्षण संख्या–506/2021

राज्य बनाम सद्दाम हुसैन उर्फ सद्दाम अंसारी।

धारा–363, 366 भारतीय दंड संहिता,

थाना–अनपरा, जिला–सोनभद्र।

आदेश

28.10.2021 :–पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकारा गया। अभियुक्त सद्दाम हुसैन उर्फ सद्दाम अंसारी उपस्थित है। विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, दांडिक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को आरोप विरचन के विन्दु पर सुना गया। अभियोजन की ओर से विवेचक के द्वारा एकत्रित साक्ष्य को बताते हुए यह कहा गया कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा–363, 366 भारतीय दंड संहिता का आरोप विरचित करने के लिये पर्याप्त आधार है। पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से इस स्तर पर अभियुक्त सद्दाम हुसैन उर्फ सद्दाम अंसारी के विरूद्ध धारा–363, 366 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया व परीक्षण की याचना की। अतः पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनॉक–23.12.2021 को प्रस्तुत हो। साक्षीगण जरिये सम्मन तलब हों।

दिनॉक–28.10.2021

सत्र न्यायाधीश,
सोनभद्र।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र।

उपस्थित– श्री रजत सिंह जैन,(एच.जे.एस.),

सत्र परीक्षण संख्या–506/2021

राज्य बनाम सद्दाम हुसैन उर्फ सद्दाम अंसारी।

धारा–363, 366 भारतीय दंड संहिता,

थाना–अनपरा, जिला–सोनभद्र।

–:**आरोप**:–

मैं रजत सिंह जैन, सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र आप अभियुक्त सद्दाम हुसैन उर्फ सद्दाम अंसारी को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूं–

प्रथम:– यह कि दिनॉक–14.12.2019 को करीब 10 बजे दिन बहद स्थान–रेनूसागर, थाना–अनपरा, जनपद–सोनभद्र में आपने वादी रणजीत कुमार यादव की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को बहला–फुसला कर उसके पिता की विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण किया। ऐसा करके आपने धारा–363भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय:– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी की अवयस्क पुत्री/पीड़िता उक्त का व्यपहरण यह जानते हुए किया कि उसके साथ, उसकी इच्छा के विरूद्ध विवाह करने के लिए विवश किया जावेगा या उसे अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश किया जावेगा। ऐसा करके आपने धारा–366 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–28.10.2021

(**रजत सिंह जैन**)
सत्र न्यायाधीश,
सोनभद्र।

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और परीक्षण की याचना की।

दिनॉक–28.10.2021

(**रजत सिंह जैन**)
सत्र न्यायाधीश,
सोनभद्र।

Digitally signed by RAJAT SINGH JAIN
Date: 2021.10.28 15:49:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,Sonbhadra